बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0— भवन/भू–सम्पदा–01–आवास–(राजपत्रित)–01/2025 51 पटना, दिनांक– 16/6/25

'कार्यालय आदेश'

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित भारतीय प्रशासनीक सेवा एवं भारतीय राजस्व सेवा के पदाधिकारियों को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त्त पर आवास आवंटित किया जाता है :–

क्र0	Reg.No	नाम/पदनाम	विभाग	आवंटित आवास
1.	-	**श्री सरवणन एम,** भा0प्र0से0(2002), सचिव	ग्रामीण कार्य विभाग	**403,** अल्फा ब्लॉक, शास्त्रीनगर
2.	BG1953	**श्री गोपाल मीणा,** भा0प्र0से0(2007), सचिव	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	**504,** अल्फा ब्लॉक, शास्त्रीनगर
3.	-	**श्री यशपाल मीणा,** भा0प्र0से0(2014), अपर सचिव	जल संसाधन विभाग	**301,** बीटा ब्लॉक, शास्त्रीनगर
4.	BG7926	**श्री प्रशांत कुमार सी0एच0,** भा0प्र0से0(2015), निदेशक	पंचायती राज विभाग	**601,** बीटा ब्लॉक, शास्त्रीनगर
5.	BG7929	**श्री मुकुल कुमार गुप्ता,** भा0प्र0से0(2016), निदेशक	उद्योग विभाग	**401,** बीटा ब्लॉक, शास्त्रीनगर
6.	-	**श्री अंशुल अग्रवाल,** भा0प्र0से0(2016), निबंधक	सहयोग समितियां	**602,** बीटा ब्लॉक, शास्त्रीनगर
7.	BG7931	**श्री वैभव चौधरी,** भा0प्र0से0(2016), संयुक्त सचिव	स्वास्थ्य विभाग	**302,** बीटा ब्लॉक, शास्त्रीनगर
8.	-	**श्रीमती अभिलाषा शर्मा,** भा0प्र0से0(2017), संयुक्त सचिव	नगर विकास एवं आवास विभाग	**E1/404,** गर्दनीबाग
9.	-	**डॉ0 अनुपमा सिंह,** भा0प्र0से0, (2020) संयुक्त सचिव	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	**E1/503,** गर्दनीबाग
10.	BG7920	**श्री नवनीत कुमार,** भा0रा0से0, संयुक्त आयुक्त	CBIC, Ministry of Finance, GOI	**E2/601,** गर्दनीबाग

2. सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
3. नये आवंटी पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
4. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार मानक किराया/दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।

5. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंश चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।

6. विभागीय आदेश सं0–3473, दिनांक–30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ–सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंश चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :–

क्र0	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंश चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	अल्फा ब्लॉक, शास्त्रीनगर	₹1615	₹2153	₹3768
2.	बीटा ब्लॉक, शास्त्रीनगर	₹1305	₹1740	₹3045
3.	ई–टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹1290	₹1720	₹3010

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

7. भवन निर्माण विभाग के पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना आवास में पदाधिकारी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। यदि कोई पदाधिकारी आवास के किसी भी भाग में अनधिकृत्त रूप से कोई निर्माण कार्य करे ; अथवा आवास का या उसके किसी भाग का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करे जिस प्रयोजन के लिए वह नहीं बना है, तो आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–22 के तहत भवन सचिव आवास का आवंटन रद्द कर सकेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

8. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

16/6/25

(शिव रंजन)
संयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी